

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।**

आज दिनांक- 08.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



थाना खरेला की पुलिस टीम ने चलती बस से चोरी की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी सम्पत्ति बरामद, घटना में संलिप्त अन्य 02 नफर अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये-

दिनांक- 06.05.2025 को थाना खरेला क्षेत्र अन्तर्गत एक चलती बस में ट्राली बैग की चैन खोलकर उसमें रखी पीली एवं सफेद धातु की ज्वैलरी की चोरी किये जाने के सम्बन्ध में थाना खरेला में मु0अ0सं0 36/25 धारा 305(C)/317(2) BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त चलती बस से चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में चोरी की घटना के सफल अनावरण किये जाने एवं इसमें संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना खरेला प्र0नि0 सत्यपाल सिंह के द्वारा उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय हमराह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी।

गठित पुलिस टीम ने दिनांक- 07.05.2025 को मु0अ0सं0 36/25 धारा 305(C)/317(2) BNS से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त 1.तालिम अली पुत्र शहजादे उम्र करीब 25 वर्ष नि0 गनीमत नगर मजरा शाहपुर थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद को घटनास्थल बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से आगरा की ओर परथनिया पुल ग्राम परथनिया के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की गयी सामग्री जिसमें एक मांग वेदी, एक अगुंठी, एक हाफ काले मोती की जिसमे एक लाकेट लगा है पीली धातु की व दो जोड़ी बिछिया दो चांदी का अगुठा व एक जोड़ी पायल सफेद धातु की व पासबुक इलाहाबाद बैंक बरामद हुआ। इस घटना की विवेचना से अभियुक्त 1.तालिम अली पुत्र शहजादे उम्र करीब 25 वर्ष नि0 गनीमत नगर मजरा शाहपुर थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद 2.उवेश उर्फ जुनैद पुत्र नुसरत निवासी गनीमतनगर उर्फ सिहाली थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद 3.राजा उर्फ मोसिम पुत्र साबिर निवासी साहपुर मजरा पीपलसना थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया है मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है साथ ही घटना में संलिप्त 02 अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
2. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
3. का0 प्रवीण कुमार
4. का0 दीपक मौर्या

बरामदगी का विवरण -

एक मांग वेदी, एक अगुंठी, एक हाफ काले मोती की जिसमे एक लाकेट लगा है पीली धातु की व दो जोड़ी बिछिया दो चांदी का अगुठा व एक जोड़ी का पायल सफेद धातु का व पासबुक इलाहाबाद बैंक

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

तालिम अली पुत्र शहजादे उम्र करीब 25 वर्ष नि0 गनीमत नगर मजरा शाहपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।



“शस्त्रों की साफ-सफाई का आयोजन”

पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा, श्री राजेश एस. के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज दिनांक:- 08.05.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन महोबा स्थित क्वार्टर गार्ड में शस्त्रों की साफ-सफाई का कार्य संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अनुशासित रूप से अपने-अपने शस्त्रों की नियमित साफ-सफाई की गई।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य शस्त्रों की क्रियाशीलता को बनाए रखना तथा किसी भी आपात स्थिति में उनकी तत्परता सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार द्वारा समस्त शस्त्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए हैं।



vivo T1 · Shiv Kumar
May 08, 2025, 07:02



vivo T1 · Shiv Kumar
May 08, 2025, 07:02

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत “परिवार परामर्श केन्द्र”
कमेटी के सदस्यों ने 02 परिवारों को बिखरने से बचाया,
परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांक- 08.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना सुषमा चौधरी की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 06 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरूप पति-पत्नी का 02 जोड़े आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान म०का० रेखा, म०का० विभा सिंह सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्रीमती अंशू शिवहरे, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री रामजी गुप्ता, श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।



- अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना श्रीनगर नगर क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ प्रमुख कस्बा/बाजार, मिश्रित आबादी व महत्वपूर्ण/सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गश्त की गयी, स्थानीय लोगों से संवाद कर सुरक्षित परिवेश का कराया गया एहसास।
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 293 वाहनों के ई-चालान कर शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

आज दिनांक 08.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा जनपद में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद महोबा के थाना श्रीनगर क्षेत्र में प्रमुख कस्बों, बाजार व मिश्रित आबादी वाले स्थानों में अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से व्यस्तम भीड़- भाड़ वाले प्रमुख स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों यथा बेलाताल तिराहा, बस स्टैण्ड तिराहा तथा बिलराही तिराहा आदि मुख्य जगहों पर पैदल गस्त की गयी।

पैदल गश्त के दौरान आमजनमानस से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में उनसे संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर पुलिस बल को तैनात किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रात्रि ड्यूटियाँ एवं रात्रि पुलिस मोबाइल द्वारा विशेष सतर्कतापूर्वक लगातार भ्रमणशील रहते हुए गस्त करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।

पैदल गस्त के दौरान जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुये बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग, बिना सीट बेल्ट, वाहनों पर लगी काली फ़िल्म व अवैध ई-रिक्शा के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन व चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गयी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 293 वाहनों का चालान कर शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।



अपने ही पुत्र पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पिता को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा/कारतूस के साथ थाना अजनर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार।

थाना अजनर क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम बघौरा से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने मामूली से विवाद में अपने पुत्र को गोली मार दी है, इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बेहतर उपचार हेतु घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत में सुधार है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजनर में मु.अ.सं. 102/2025 धारा-109(1)/352 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर, सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक 08.05.2025 को घटना से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त भारत सिंह पुत्र स्व0 सुन्दरलाल यादव उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम बघौरा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा कारतूस/ खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया । जिसके संबंध में मु0अ0सं0 102/2025 धारा 109(1)/352 बी0एन0एस0 में नियमानुसार धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अन्य विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

भारत सिंह पुत्र स्व0 सुन्दरलाल यादव उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
2. आरक्षी पंकज कुमार

बरामदगी-

01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज।



- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना श्रीनगर का किया गया आकस्मिक निरीक्षण, अभिलेखों के रख-रखाव, महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन कर समस्त प्रविष्टियों का अंकन करते हुये अभिलेखों को अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिशा निर्देश दिये गये।
- थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिजवहा में घटित घटना का स्थलीय निरीक्षण कर विवेचना को गुण दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 08.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा देर रात्रि में थाना श्रीनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के अभिलेखों, बैरिक, मैस, मालखाना, हवालात, महिला हेल्पडेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष इत्यादि का निरीक्षण, थाना परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई का निरीक्षण, लम्बित मामलों का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण रजि. यथा-त्यौहार, अपराध, भूमि विवाद, बीट सूचना अंकन रजिस्टर, सजायवी रजिस्टर तथा फलाईशीट का गहनता से अवलोकन कर सम्बन्धित थाना प्रभारी को महिला अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरते जाने व त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं साथ ही अभिलेखों के उचित रख-रखाव के साथ अद्यावधिक किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

तत्पश्चात थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिजवहा में घटित घटना का स्थलीय निरीक्षण कर विवेचना को गुण दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे, प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री अवधेश कुमार मिश्रा, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री विषयदेव बुन्देला सहित थाना स्थानीय पर नियुक्त समस्त अधि0/ कर्मचारीगण मौजूद रहे।

